राजस्थान में संचालित 8 प्रमुख शहरी क्षेत्रों की योजनाएं

BY GK SEARCH ENGINE (PK Sharma 8955998445)

1. अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन)

अमृत मिशन

AMRUT - Atal mission for Rejuvenation and Urban Transformation

शुरूआत 25 जून, 2015, नई दिल्ली

इस मिशन की अवधि 2015-20 थी जिससे बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया।

नोडल विभाग -

केन्द्र - आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य - DLB (Department of Local Bodies)

शहर ULB (Urban of Local Bodies)

केन्द्र प्रवर्तित योजना

नोट -इस योजना ने पूर्व में चल रही जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन का स्थान लिया।

उद्देश्य -

- हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की व्यवस्था करना।
- हरियाली और अच्छी तरह से बनाये हुए खुले हुए (पार्क) विकसित करके शहरों के सुख-सुविधाओं के मूल्यों में वृद्धि
- सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके या गैर-मोटर चालित परिवहन (पैदल या साइकिल) के लिए सुविधाओं का निर्माण कर प्रदूषण कम करना।

योजना का कवरेज (इस मिशन के अन्तर्गत पांच सौ शहरों को शामिल) शहरों की श्रेणीयाँ -

- छावनी बोर्ड (सिविलियन क्षेत्र) सहित अधिसूचित नगरपालिकाओं सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर व कस्बे।
- उपर्युक्त में शामिल नहीं किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियाँ।
- हृदय योजना के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर / कस्बे
- 75000 से अधिक व 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 13 शहरों व कस्बों जो मुख्य 5 नदियों किनारे हैं।
- पर्वतीय राज्यों, द्वीप समूहों व पर्यटन स्थलों से दस (10) शहर (प्रत्येक राज्य से एक से अधिक शहर नही)

योजनान्तर्गत धनराशि आवंटन

वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए रु. 50 हजार करोड़ का आवंटन किया गया। जिसमें राजस्थान के लिए आवंटन राशि 3224 करोड़ रुपये हैं।

10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए राशि का अनुपात

- केंद्र:- 33.33%
- राज्य- 33.33%
- नगरीय निकाय- 33.33%

10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए राशि का अनुपात (जयपुर, जोधपुर, कोटा)

- केंद्र:- 50%
- राज्य- 30%
- नगरीय निकाय- 20%

मिशन का आउटकम-

- 137 लाख नल कनेक्शन करवाये गये।
- 105 लाख सिवरेज कनेक्शन करवाये गये।
- 6347 मिलियन लिटर प्रति दिन सिवरेज प्रबंधन क्षमता स्थापित की गई।

GK Search Engine

- 2322 पार्क विकसित किए गये।
- 692 बाढ़ न्यूनीकरण संरचनाएं निर्मित की गई।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में

✅ भारत में 500 चयनित शहरों में से राजस्थान के 29 शहरों में संचालित (जिनमें 28 शहरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक एवं इसके अतिरिक्त झालावाड़ शहर की जनसंख्या 1 लाख से कम)।

✅ राजस्थान के शहर अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, कोटा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, नागौर, हिण्डोनसिटी, किशनगढ़, उदयपुर, पाली, सीकर, झुन्झुनू, सवाई माधोपुर, टोंक, ब्यावर, गंगापुरसिटी, सुजानगढ़।

अमृत मिशन के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP) प्रस्तुत करने वाला राजस्थान पहला राज्य है।

परियोजना कार्य निष्पादन नगर निकाय / नगर विकास न्यास / जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) इत्यादि द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार

मार्च -2024 तक मिशन अवधि के लिए कुल परियोजना लागत 3223.94 करोड़ है।

अब तक कुल 1515.08 करोड़ केन्द्र सरकार तथा 874.75 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा प्राप्त हो चुका है।

अमृत 2.0 मिशन

अमृत मिशन का दूसरा चरण।

प्रारम्भ 1 अक्टूबर, 2021 से।

ध्येय वाक्य Making Cities Water Secure (जल सुरक्षित शहर बनाना)

'ट्रांसफॉर्मेशन टू सेचूरेशन' की भावना के साथ प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली से प्रारंभ।

(योजनावधि 2021 से 2025-26)

उद्देश्य –

- 4700 कस्बो (ULB) सभी घरों में नल जल कनेक्शन व 500 अमृत शहरों में घरों को सीवरेज / सेप्टेज सेवाओं का 100% उपलब्ध कराना।
- आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ "जल सुरक्षित शहर" बनाने जिसमें 2.68 करोड़, नल जल कनेक्शन और सेप्टेज प्रबंधन के साथ 2.64 करोड़ सीवरेज कनेकशन का लक्ष्य।
- यह मिशन "सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से स्टार्टअप तथा उद्यमों के जरिए आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाना है।

वित्त पोषण अनुमानित बजट रु. 2 लाख 99 हजार करोड़ (2.79 + 0.20)। जिसमें केन्द्र का हिस्सा 76,760 + 10000 करोड़ रुपये है।

नोट – मार्च, 2023 तक अमृत मिशन को वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए रु. 10,000 करोड़ केन्द्रीय सहायता और अन्य 10,000 करोड़ रुपये राज्यों का हिस्सा शामिल है।

परियोजना धनराशि 20: 40: 40 की तीन किस्तों में जारी होगी।

GK Search Engine

परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण केंद्र, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और यूएलबी द्वारा साझा किया जाएगा।

ULBS	केंद्रीय हिस्सा

- केंद्र शासित प्रदेशों को -100% परियोजना निधि (केंद्र द्वारा)
- उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी राज्य:- 90% परियोजना निधि (केंद्र द्वारा)
- एक लाख से कम जनसंख्या:- 50% परियोजना निधि (केंद्र द्वारा)
- एक लाख से दस लाख (दोनों शामिल) की जनसंख्या:- 33.33% परियोजना निधि (केंद्र द्वारा)
- दस लाख से अधिक जनसंख्या:- 25% परियोजना निधि (केंद्र द्वारा) (पीपीपी के तहत ली गई परियोजनाओं को छोड़कर)

राज्य सरकार के हिस्से का 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

नोट :- मिशन में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में आवंटित धनराशि में से 10% PPP मोड़ में कार्यान्वयन

मिशन का सुधार एजेण्डा

- गैर राजस्व पानी (लिकेज) को 20% से नीचे लाना।
- इस्तेमाल / उपयोग किये हुए पानी को रिसाइकिल करके शहर की कुल पानी की मांग का 20% और राज्य स्तर पर औद्योगिक पानी की मांग को 40 प्रतिशत पूरी करना।
- नल से पानी की सुविधा से 24x7 जल आपूर्ति
- जल स्रोतों के नवीनीकरण
- शहरों के GIS आधारित मास्टर प्लान व कुशल नगर नियोजन
- शहरों की क्रेडिट रेटिंग और म्यूनिसिपल बॉड जारी करके धनराशि जुटाना।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थिति

राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार

- ✓ अमृत 2.0 योजनान्तर्गत सीवरेज जल निकायों के जीर्णोद्वार एवं जलापूर्ति के कार्य करवाए जाने है। इसके लिए केन्द्रीय सहायता 3552 करोड़ रूपये है।
- ✓ 31 शहरी स्थानीय निकायों में 5341.57 करोड़ की लागत से 38 सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिससे 37 कार्यों को आवंटित किया जा चुका है।
- ✓ 31 मार्च, 2024 तक 401.74 करोड़ रूपये के कार्य निष्पादित किए जा चुके है। इन कार्यों के तहत 4.87 लाख घरों में सीवर कनेक्शन प्रदान करके लगभग 24.35 लाख लोगों को लाभाविन्त किया जाएगा।
- ✓ जल निकायों और हरित क्षेत्रों के पुनरुद्वार के लिए 229.23 करोड़ की लागत से 56 कार्यों को मंजूरी दी गई। 31 मार्च 2024 तक 58.83 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है।
- ✓ अमृत 2.0 के अन्तर्गत राजस्थान के 183 नगरीय निकायों में जलापूर्ति से सम्बधित 5123.06 करोड़ के कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये है जिनका क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
- ✓ स्वायत शासन विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार भारत सरकार को 13 सीवरेज कार्यों -की परियोजना रु. 1968.71 करोड़, 11 स्थानीय निकायों में जल निकाय की जीर्णोद्वार राशि रु. 55.74 करोड़ एवं 178 स्थानीय निकायों में जल पूर्ति कार्य हेतु राशि रु. 4542.71 करोड़ की

GK Search Engine

परियोजना स्वीकृति हेतु भिजवायी गई है।

प्रमुख तथ्य - म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम- भरतपुर।

राजस्थान बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार-

- प्रदेश के 183 शहरों/कस्बों में पेय जल व्यवस्था में सुधार हेतु 5180 करोड़ रुपये के कार्य 2 वर्षों में करवाने की घोषणा।
- 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्वार के कार्य 127 करोड़ रुपये की लगात से करवाना।
- अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्विस रिजर्वायर का निर्माण।
- टोडा रायसिंह-केकड़ी, देवली, मालपुरा व अलीगढ़ टोंक हेतु शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपये की लागत से उच्च जलाशय, पाइप लाइन आदि के कार्य करवाये जायेगें।

अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य झारखण्ड है।

10 महत्वपूर्ण प्रश्न

01. अमृत मिशन का आरंभ किया गया -
(a) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25 जून, 2015 को।
(b) आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 25 जून, 2015 को
(c) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15 जून, 2015 को।
(d) आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 25 जून, 2015 को

02. अमृत मिशन के अंतर्गत कितने शहरों की बुनियादी अवसंरचना में सुधार का लक्ष्य रखा गया है?
(a) सभी अधिसूचित शहरों में
(b) 301 शहरों में
(c) 451 शहरों में
(d) 500 शहरों में

03. अमृत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(a) इसमें सामान्यतः 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है।
(b) इसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में बुनियादी सेवाओं को शामिल किया गया है।
(c) मिशन का प्राथमिक क्षेत्र जलापूर्ति है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही है।

04. अमृत मिशन का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है?
(a) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(b) जल शक्ति मंत्रालय
(c) पर्यटन मंत्रालय
(d) संस्कृति मंत्रालय

05. अमृत मिशन की कार्य योजना में शामिल हैं-
(a) जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन
(b) हरित स्थल और पार्क निर्माण।
(c) शहरी परिवहन
(d) उपर्युक्त सभी

06. राज्य वार्षिक कार्यवाही योजना (SAAP) की कुल योजनागत राशि में से जलापूर्ति के लिए कितना निर्धारित किया गया है?
(a) लगभग 25%
(b) लगभग 35%
(c) लगभग 45%
(d) लगभग 50%

Gk Search Engine

07.राज्य वार्षिक कार्यवाही योजना (SAAP) की कुल योजनागत राशि में से सीवरेज के लिए कितना निर्धारित किया गया है?

(a) लगभग 24%

(b) लगभग 32%

(c) लगभग 42%

(d) लगभग 48%

08. अमृत मिशन के अंतर्गत सीवरेज कवरेज का कितना लक्ष्य रखा गया है?

(a) 31%

(b) 41%

(c) 62%

(d) 82%

09. अमृत मिशन के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना में से कितनी राशि शहरी परिवहन हेतु निर्धारित की गई है?

(a) रु.1436 करोड़

(b) रु.1442 करोड़

(c) रु.1628 करोड़

(d) रु.1648 करोड़

10.अमृत मिशन के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना हेतु निर्धारित कुल बजट है-

(a) रु.76630 करोड़

(b) रु.77640 करोड़

(c) रु. 78662 करोड़

(d) रु. 78672 करोड

स्वच्छ भारत मिशन शहरी (SBM-U)

ध्येय वाक्य - एक कदम स्वच्छता की ओर ।

बजट घोषणाः- केन्द्रीय बजट 2024-25 में 5 हजार करोड़ रुपये का आवंटन

प्रारम्भः- 15 अगस्त 2014 को घोषणा एवं 2 अक्टूबर 2014 को शुभारम्भ।

उद्देश्यः- 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गाँधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से "खुले में शौच मुक्त" (ODF Open Defecation Free) भारत का निर्माण करना।

अन्य उद्देश्यः-

- खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना। (100% ODF शहर)
- हाथ से सफाई करने की परंपरा समाप्त करना।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन ।
- स्वच्छता को लेकर लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना।
- जन स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता लाना।
- शहरी स्थानीय भौतिक क्षमता संवर्धन ।
-

नोडल विभागः- केन्द्रीय स्तर आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (मंत्री-माननीय मनोहर लाल खट्टर)

• राज्य स्तर- स्वायत्त शासन विभाग

योजना के दो प्रमुख घटक है-

(i) खुले में शौचमुक्त

(ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

वित्त पोषणः- केन्द्रः राज्य

उत्तरी-पूर्वी राज्य व हिमालयी राज्यः- 90:10

विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेशः- 80:20

विधानसभा रहित केन्द्र शासित प्रदेशः- 100:00

GK Search Engine

नोट : सामान्य राज्यों के लिए क्षमता निर्माण घटक हेतु केन्द्र व राज्य का वित्तीय अनुपात क्रमशः 60: 40 है

योजना का प्रथम चरण 02 अक्टूबर 2014 से प्रारम्भ होकर 01 अक्टूबर 2019 तक रहा

भारत के संबंध में अचीवमेंट

1. डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण 97 प्रतिशत तक हो रहा है।
2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 18 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत तक हो रहा है।
3. योजना समाप्ति तक 4372 शहरों में से 4371 शहर ODF घोषित हो चुके हैं।
4. व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण 66.86 लाख हो चुका है।
5. सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों (CT/PT) सीटों का निर्माण 6.40 लाख हो चुका है।

राजस्थान के संबंध में अचीवमेंट

आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसारः-

- प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों को 'खुले में शौच मुक्त' (ODF) घोषित किया गया है, और भारत सरकार द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत राशि रु. 611.34 करोड़ भारत सरकार तथा 314.61 करोड़ रुपये राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं इस प्रकार कुल 925.95 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके है।
- ULB की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अब तक 3.69 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHL), और 22, 547 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (CT/PT) सीटों का कार्य पूरा किया जा चुका है।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसारः

- ULB की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अब तक 3.69 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHL), और 22, 547 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (CT/PT) सीटों का कार्य पूरा किया जा चुका है।
- प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को 'खुले में शौच मुक्त' (ODF) घोषित किया गया है, और भारत सरकार द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत राशि रु. 611.34 करोड़ भारत सरकार तथा 314.61 करोड़ रुपये राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं इस प्रकार कुल 925.95 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। तद्नुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

विजन : Garbage Free City के माध्यम से Garbage Free शहरी भारत बनाना।

योजना का द्वितीय चरणः-

1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर, 2026 तक (5 साल के लिए)।

कुल बजट 1, 41, 600 करोड़ रुपये

उद्देश्यः-

- सभी वैधानिक कस्बों को ODF + प्रमाणन ।
- 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक कस्बों को ODF + + प्रमाणन
- 1 लाख से कम आबादी वाले सभी सांविधिक कस्बों में से आधों को Water + प्रमाणीकरण।
- कचरा मुक्त शहरों के लिए कम से कम Garbage Free 3 Star की रेटिंग प्राप्त करना।
- सभी डंप साइट का जैव उपचार।

GK Search Engine

योजना के प्रमुख घटक

- सतत् स्वच्छता
- सतत् ठोस कचरा प्रबंधन
- प्रयुक्त जल प्रबंधन
- सूचना, शिक्षा, संचार(IEC)
- क्षमता निर्माण (CB)

विशेषताएं
5 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों, के निर्माण से सतत् स्वच्छता प्राप्त करना।

वित्त प्रावधानः-
कुल बजट-1,41,600 करोड़ रु. (केन्द्र 36,465 करोड़ रुपये राज्य+ नगरीय निकाय+ व्यक्तिगत व्यय)
नोट : सर्वाधिक बजट आवंटन (80,000 करोड़ रु.) प्रयुक्त जल प्रबंधन घटक के लिए किया गया है

पात्रताः-

- ऐसा शहरी परिवार जिसमें स्वयं का घरेलू शौचालय न हो। अस्वच्छ शौचालय वाले घर।
- पूर्व में योजना से सहायता प्राप्त न हो। सामुदायिक शौचालयों की पूर्व पहुंच वाले सभी परिवार जो अपने स्वयं की सुविधा चाहते हैं।

आवेदनः- केवल Online माध्यम से (Umang App / SBM Portal से)

क्रियान्वयनः -

- व्यक्तिगत शौचालयों (IHHL) हेतु प्रति इकाई अनुमानित लागत 30,000 रु. है जिसमें से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में 12000 रु. (10800 केन्द्र + 1200 राज्य) प्रति इकाई, संघ राज्य क्षेत्रों में 5,333 रु. (4000 केन्द्र + 1333 संघ राज्य) तथा सामान्य राज्यों के लिए 6,667 रु. (4000 केन्द्र + 2667 राज्य) प्रति इकाई दिया जाता है। (DBT माध्यम से)
- सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों के लिए 1,50,000 रु. प्रति सीट तथा आंकाक्षी शौचालयों के लिए 2,50,000 रु. प्रति सीट दिये जायेंगे। जबकि मूत्रालय शौचालयों हेतु 32,000 रु. प्रति सीट प्रदान किये जायेंगे।

राजस्थान के संदर्भ में

- ✓ मिशन अवधि के दौरान राजस्थान के लिये कुल आवंटन 1770.27 करोड़ रुपये हैं। भारत सरकार से 252.10 करोड़ व राज्य सरकार से 167.31 करोड़ रु. प्राप्त हुये हैं।
- ✓ 3136.56 करोड़ रु. की कार्य योजना को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- ✓ और 1454.49 करोड़ के केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25

- ★ सबसे स्वच्छ भारतीय शहर 2024-25: इंदौर ने लगातार सात वर्षों तक समग्र स्वच्छतम शहर का पुरस्कार जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई है
- ★ दो शहरों को Seven Star Garbage free cities घोषित किया गया है- सूरत और नवी मुंबई

GK Search Engine

राजस्थान का प्रदर्शन 25वाँ स्थान (2022 में 8वाँ स्थान), पुरे देश के 27 राज्यों में 25 वां स्थान (1212.14 स्कॉर) मिला।

- प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 100 की सूची में शामिल नहीं है।
- प्रदेश में कोई भी शहर 5 स्टार या 7 स्टार रैंकिग प्राप्त नहीं है।
- डूंगरपुर-3 स्टार तथा उदयपुर एवं नाथद्वारा-1 स्टार शहर हैं।
- जयपुर नगर निगम हैरिटेज 171वें और ग्रेटर 173वें स्थान पर सूची में शामिल है।
- उदयपुर (206), जोधपुर दक्षिण (210) अजमेर (214), व कोटा उत्तर (244), कोटा दक्षिण (256), जोधपुर उत्तर (298)
- डूंगरपुर प्रदेश के स्वच्छ शहरों में पहले पायदान पर रहा। डूंगरपुर लगातार चौथी बार प्रदेश में स्वच्छता में टॉप पर रहा है। (डूंगरपुर की ऑल इण्डिया रैंकिग 553 तथा स्टार रैंकिग 3 स्टार है।)
- नगर परिषद् डूंगरपुर को गारबेज फ्री सिटी में 3 स्टार रैंटिंग के लिए पुरस्कृत किया गया।
- नसीराबाद छावनी क्षेत्र को छावनी क्षेत्र की रैंकिग में 21वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

स्वच्छता ही सेवा अभियान - 2024
थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता (4'S)
अवधि 17 सितंबर 2024 से 02 अक्टूबर 2024 (स्वच्छ भारत दिवस) तक।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) Question

1. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का प्रथम चरण कब से कब तक था?
(a) 2 अक्टूबर, 2013 से 2 अक्टूबर, 2018 तक
(b) 2 अक्टूबर, 2014 से 2 अक्टूबर, 2019 तक
(c) 2 अक्टूबर, 2015 से 2 अक्टूबर, 2020 तक
(d) 2 अक्टूबर, 2016 से 2 अक्टूबर, 2021 तक

2. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के उद्देश्य हैं-
(a) खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना
(b) नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन
(c) शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता संवर्धन
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-
(a) केवल 1 और 2. (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3. (d) सभी कथन सही हैं।

3. राजस्थान सरकार ने शहरों में कुल कितने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया?
(a) 1200
(b) 1500
(c) 1800
(d) 1867

4. राज्य में सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
(a) भारत सरकार द्वारा प्रति शीट रु. 39200/- अनुदान दिया जा रहा है।
(b) राज्य सरकार, भारत सरकार के अनुदान के 33.33% के बराबर योगदान करेगी
(c) शेष राशि नगर निकायों द्वारा वहन की जाएगी
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-
(a) केवल 1 और 2. (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3. (d) सभी कथन सही हैं।

GK Search Engine

05. प्रत्येक मकान में शौचालय निर्माण की अनुमानित लागत कितनी निर्धारित की गई?

(a) रु.20 हजार

(c) रु.40 हजार

(b) रु. 35 हजार

(d) रु.60 हजार

06. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(a) इसमें लगभग 66 लाख सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया।

(b) घर-घर जाकर शत-प्रतिशत कचरा संग्रहण का लक्ष्य

(c) इसमें विषय आधारित स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 और 2. (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3. (d) सभी कथन सही हैं।

7. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की अवधि है-

(a) 1 अक्टूबर, 2019 से 1 अक्टूबर, 2024 तक

(b) 12 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक

(c) 1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक

(d) 2 अक्टूबर, 2021 से 2 अक्टूबर, 2026 तक

8. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 का वित्त पोषण किस प्रकार होगा?

(a) राज्य सरकार-40% एवं केंद्र सरकार-60%

(b) राज्य सरकार-50% एवं केंद्र सरकार-50%

(c) 100% राज्य सरकार द्वारा

(d) 100% केंद्र सरकार द्वारा

9. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(a) अगले पाँच वर्षों शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य

(b) 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक लागू

(c) एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का विनिर्माण और प्रयोग बंद करने का लक्ष्य।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 और 2. (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3. (d) सभी कथन सही हैं।

10. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 में लाभार्थी हो सकते हैं-

(a) शहरी क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनकी घरेलू शौचालय तक पहुँच नहीं है।

(b) अस्वच्छ शौचालयों वाले सभी घर

(c) स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित समूह

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 और 2. (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3. (d) सभी कथन सही हैं।

GK Search Engine

हृदय योजना (HRIDAY YOJANA)

विरासत/धरोहर शहर विकास और संवर्द्धन योजना (Heritage City Development and Augmentation Yojana)

- **ध्येय वाक्य-** (Rejuvenating the Soul of Heritage Cities) (विरासत शहरों की आत्मा को फिर से जीवंत करना)
- **प्रारम्भ एवं समय-सीमा** 21 जनवरी 2015 को प्रारम्भ एवं 31 मार्च, 2019 को समाप्त।
- **वित्त पोषण -** पूर्णतः केन्द्र वित्त पोषित योजना/केन्द्रीय क्षेत्रक योजना (केन्द्र 100%) 500 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान।
- **नोडल मंत्रालय** आवास व शहरी मामलों/कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। (MOHUA - Ministry of Housing and Urban Affairs)
- **क्रियान्वयन/कार्यकारी एजेंसी**-शहरी स्थानीय निकाय (ULB: Urban Local Bodies)
- **उद्देश्य (Objective)**
  - ✓ हृदय का प्रमुख उद्देश्य विरासत शहर के मूल स्वरूप को संरक्षित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न अवसर पैदा करके समावेशी विरासत सम्बद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देना है।
  - ✓ धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन सम्पत्तियों के आस-पास के क्षेत्रों हेतु शहरी बुनियादी ढाँचा पुनरुद्धार विकास (Urban Infrastructure Development) करना एवं नागरिक बुनियादी सेवाओं का विकास एवं विस्तार करना।

बुनियादी सेवाएँ↓

- स्वच्छता
- पर्यटक सुविधाएँ
- जल निकास प्रणाली
- अपशिष्ट प्रबंधन
- मार्गों का विकास
- स्ट्रीट लाइट

भारत के 12 हृदय स्थल

1. कांचीपुरम (तमिलनाडु)
2. वेलनकन्नी (तमिलनाडु)
3. मथुरा (उत्तरप्रदेश)
4. वाराणसी (उत्तरप्रदेश)
5. अमरावती (आन्ध्रप्रदेश)
6. वारंगल (तेलंगाना)
7. बादामी (कर्नाटक)
8. पुरी (ओड़िसा)
9. गया (बिहार)
10. द्वारका (गुजरात)
11. अमृतसर (पंजाब)
12. अजमेर (राजस्थान)

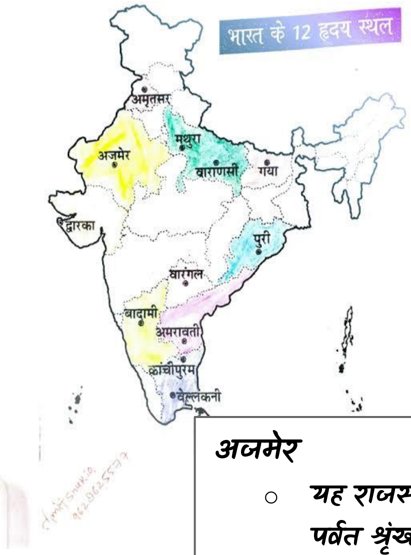

अजमेर

- यह राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा एक जिला है।
- यहाँ मुस्लिम का प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती तथा ढाई दिन का झोपड़ा स्थित है।

GK Search Engine

योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 500 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी

घटक
स्वीकृत निधि का प्रतिशत

- परियोजना के अनुमोदन पर:- 20% (प्रथम किस्त)
- परियोजना के 20% वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर:- 60% (द्वितीय किस्त)
- परियोजना के 60% वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर:- 20% (तृतीय किस्त)

नोट:- हृदय योजना के तहत् शहरों को वर्षवार धन आवंटित नहीं किया गया बल्कि पूरे मिशन अवधि के लिए और सीधे शहरों को जारी किया गया।

शहर की जनसंख्या व आकार के आधार पर निश्चित राशि आवंटित की गई।

- सर्वाधिक फंड आवंटन वाराणसी 90 करोड़ रुपये
- सबसे कम फंड आवंटन बादामी (कर्नाटक) व अमरावती (आंध्रप्रदेश) 22.26 करोड़ रुपये प्रति शहर
- अजमेर का फंड आवंटन 40.04 करोड़ रुपये

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हृदय योजना

अजमेर-

- अजमेर शहर 1869 में नगरपालिका बनी थी।
- अजमेर में कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या 7 है एवं आवंटित धनराशि 40.04 करोड़ रुपये, 31 मार्च, 2019 तक जारी की गई धनराशि 34.17 करोड़ रुपये थी और 31 जनवरी, 2022 तक 26.11 करोड़ रुपये के कार्यों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हैं।
- शहरों में स्थानीय विरासत को पुनर्जीवित करने और पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण केन्द्रों के निर्माण के लिए पुष्कर, अजमेर में विरासत पथ का निर्माण किया गया जिससे प्रमुख स्मारकों को जोड़ा गया।
- आनासागर झील/जलाशय (अजमेर) को पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया।
- सुभाष उद्यान का विकास (अजमेर) जॉगिंग ट्रेक, साइकिल ट्रेक, नौका विहार, कैफे आदि का निर्माण किया गया।
- द्रोण (DRONAH) द्रोण एजेन्सी को अजमेर शहर के लिए विरासत शहरी एंकर नियुक्त किया गया है।

CLAMC (City Level Advisory & Monitoring Committee) -

- CLAMC का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- इस समिति का संयोजक जिला अधिकारी या नगर निगम आयुक्त होगा।
- यह समिति स्कीम के निष्पादन का निरीक्षण, समीक्षा, निगरानी और मार्ग दर्शन करेगी।

शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय मिशन निदेशालय

- इसका गठन स्थानीय निकाय में किया जायेगा तथा इसका अध्यक्ष वह अधिकारी होगा जो शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की रैंक के नीचे का न हो।

GK Search Engine

- नगर स्तरीय मिशन निदेशालय एक पूर्ण रूपेण परियोजना कार्यान्वयन इकाई होगा, जो राष्ट्रस्तरीय मिशन निदेशालय की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करेगा।

महत्वपूर्ण प्रश्न

1. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विस्तार योजना (हृदय) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

a. इसे 21 जनवरी, 2015 को शुरू किया गया।
b. यह संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में क्रियान्वित की जा रही है।
c. यह एक केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना है।
d. योजना के अंतर्गत कुल रु.500 करोड़ का आवंटन किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2,3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 1,3 और 4

2. निम्नलिखित में से कौन-सा समूह हृदय योजना में शामिल है?

(a) अजमेर, अमरावती एवं अमरोहा
(b) प्रयागराज, वाराणसी एवं वारंगल
(c) वाराणसी, वेलंकन्नी एवं कांचीपुरम
(d) अमरावती, बादामी एवं भुवनेश्वर

3. हृदय योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं-

a. ऐतिहासिक इमारतों की रेट्रोफिटिंग
b. विरासत-आधारित उद्योगों की क्षमताओं का विकास
c. सार्वजनिक-निजी भागीदारी में प्रबंधन करना

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही हैं।

4. हृदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

a. विरासतों का दस्तावेजीकरण एवं मानचित्रण किया जाएगा।
b. ज्ञान प्रबंधन एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम इसमें शामिल हैं।
c. विरासत पुनरोद्धार का प्रावधान भी इसमें शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही हैं।

5. हृदय योजना हेतु राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई है-

(a) राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान
(b) राष्ट्रीय वास्तुकला संस्थान
(c) IIT, दिल्ली
(d) नीति आयोग

6. हृदय- राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष कौन है?

(a) माननीय प्रधानमंत्री
(b) महामहिम राष्ट्रपति
(c) शहरी विकास एवं आवासन मंत्री
(d) सचिव, शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय

7. हृदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

a. स्थानीय स्तर पर समीक्षा और निगरानी हेतु शहर स्तरीय सलाहकार और निगरानी समितियों की स्थापना की गई।
b. इन समितियों द्वारा मिड-कोर्स सुधार की सिफारिशें भी की गई।
c. शहर स्तर पर, मिशन निदेशालयों का गठन किया गया था

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही हैं।

GK Search Engine

8. हृदय योजना के अंतर्गत योजना के बजट में से सर्वाधिक राशि किस शहर के लिए आवंटित की गई?

(a) अजमेर

(b) अमृतसर

(c) वाराणसी

(d) वारंगल

9. हृदय योजना के अंतर्गत योजना के बजट में से अजमेर हेतु कितनी राशि आवंटित की गई?

(a) रु. 69.31 करोड़

(b) रु.40.54 करोड़

(c) रु.40.24 करोड़

(d) रु.40.04 करोड़

10. हृदय योजना के अंतर्गत निम्न में से शहरों के किस समूह के लिए समान राशि आवंटन किया गया है-

(a) वारंगल, अजमेर एवं गया

(b) अजमेर, गया एवं मथुरा

(c) पुरी, अमरावती एवं बादामी

(d) कांचीपुरम, द्वारका एवं वेलंकन्नी

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY - NULM)

आरम्भ - 1 अप्रैल, 2014

ध्येय वाक्य - 'मेरा रोजगार उन्नति का आधार'

- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू 1997

23 सितंबर, 2013 (2014-15) को इसे 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के रूप पुनर्गठित किया गया।

19 फरवरी, 2016 को इसका नाम 'दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' किया गया।

राज्य में क्रियान्वयन - स्वायत्त शासन विभाग।
केंद्र-राज्य वित्त पोषण 60:40 (2015-16 से)
पूर्व में केंद्र-राज्य वित्त पोषण (75:25)

योजना का प्रकार:- पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामूहिक

नोडल विभाग:- • केन्द्र - आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर)

राज्य स्वायत्त शासन विभाग (मंत्री माननीय झाबर सिंह खर्रा)

नोट - 12वीं पंचवर्षीय योजना में NULM का कार्यान्वयन 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख और इससे अधिक आबादी वाले शहरों में किया गया ।

GK Search Engine

उद्देश्यः-

- ✓ शहरी गरीबों को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सतत् रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं शहरी गरीबी कम करना।
- ✓ शहरी महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना।
- ✓ शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को गरीमामयी आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना।
- ✓ चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना।
- ✓

पात्रता :- BPL शहरी परिवार।

राजस्थान सरकार ने 5 दिसम्बर 2014 से स्टेट BPL परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी तथा 3 लाख से कम आय वाले शहरी परिवारों को भी पात्रता में शामिल कर लिया गया है।

प्रमुख घटक

- कौशल प्रशिक्षण व नियोजन के माध्यम से रोजगार (EST & P)
- सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास (SM & ID)
- स्व-रोजगार कार्यक्रम (SEP)
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (CB & T)
- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (SUSV)
- शहरी बेघरों हेतु आश्रय स्थल (SUH)
- नव प्रवर्तन और विशेष परियोजनाएँ

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ साझेदारीः-

(i) DAY - NULM द्वारा 21 जून, 2023 को UNDP के साथ सहयोगात्मक साझेदारी की गई है।

(ii) उद्देश्य - महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छी तरह से सूचित करियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना है।

ऑनलाइन वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली(MIS):-

- वास्तविक समय में और नियमित रूप से योजना की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से विकसित ।

- आरंभ- 20 जनवरी, 2015

शहरी आजीविका केन्द्र (CLC)-

- ➢ प्रत्येक शहर में CLC की स्थापना की जायेगी। जहाँ सेवायें व उत्पादन बेचने, बैंकिंग तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाहियाँ संपादित की जायेगी।
- ➢ शहरी गरीबों एवं SHG's के लिए One Stop Shop के रूप में मंच उपलब्ध करवाते हैं।

प्रत्येक शहर के लिए CLC's की संख्या निम्नानुसार होगी-

1.3 लाख तक जनसंख्या 01 CLC
2.3- 5 लाख तक जनसंख्या 02 CLC
3.5- 10 लाख तक जनसंख्या 03 CLC
4.10 लाख से अधिक जनसंख्या 08 CLC

CLC की स्थापना हेतु DAY-NULM के तहत 3 किस्तों में राशि 10 लाख आर्थिक सहायता का प्रावधान है, जो भौतिक आधारभूत ढाँचे के निर्माण व रिर्नोवेशन में उपयोग नहीं ली जायेगी।

GK Search Engine

स्वरोजगार कार्यक्रम (स्वयं का उद्यम स्थापित हेतु) -

(i) बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता ।
(ii) लाभार्थी आयु - 18 से 50 वर्ष
(iii) व्यक्तिगत ऋण (परियोजना लागत) - 2 लाख तक।
(iv) SHG को ऋण (परियोजना लागत) – 10 लाख तक।

नोट - 7% ब्याज पर यह ऋण दिया जाता है। महिलाओं को 4%

नोट – ऋण हेतु किसी प्रकार की बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार

(i) आयु सीमा 18 से 35 वर्ष
(ii) दैनिक मजदूरी करने वाले महिला/पुरुषों को विभिन्न ट्रेडों में 3 से 6 माह का प्रशिक्षण ।
(iii) प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय - 7500 रु.

सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास

(i) प्रत्येक स्वयं सहायता समूह (SHG) का निर्माण ।
-प्रत्येक SHG को 10 हजार का रिवोल्विंग फंड।
- न्यूनतम 3 माह की अवधि तक कार्य करने पर मिलेगा।

(ii) एरिया लेवल फेडरेशन (ALF)
-बस्ती/वार्ड स्तर पर 10-20 SHG से बना संगठन।
-प्रत्येक ALF को 50 हजार का रिवोल्विंग फंड ।

(iii) सिटी लेवल फेडरेशन (CLF)
- शहर स्तर पर ALF मिलकर इसका गठन करेंगे।

घटक - क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण-

(i) शासकीय परिषद् नगरीय विकास मंत्री (अध्यक्ष) कार्य- राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन का प्रबंधन करना।
(ii) कार्यकारी समिति शासन सचिव (अध्यक्ष)
(iii) जिला स्तरीय समिति जिला कलेक्टर (अध्यक्ष)

घटक - शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना-

(i) आश्रय स्थलों में सुविधाएं उपलब्ध कराना ।
(ii) अजमेर नगर निगम द्वारा संचालित आश्रय स्थलों में 'खुशियों की दुकान' का शुभारंभ।
(iii) प्रति 1 लाख आबादी पर स्थायी समुदाय आश्रय स्थल जो अधिकतम 100 व्यक्तियों हेतु संचालित किया जाएगा।

योजना में राजस्थान

योजना के प्रारंभ के समय (वर्ष 2014-15) राजस्थान के 40 शहरी निकाय सम्मिलित किए गए जिनमें 33 जिले एवं किशनगढ़, ब्यावर, मकराना, भिवाड़ी, सुजानगढ़, हिण्डौन सिटी व गंगापुर सिटी सम्मिलित थे।

• 2016-17 से राजस्थान के सभी शहरी स्थानीय निकायों में DAY-NULM को प्रारंभ किया गया।

योजना में प्रगति

Economic Survey 2023-24, राजस्थान सरकार के अनुसार वर्ष 2023-24 में 25 करोड़ रु. प्राप्त हुए, -जिसमें से 23.62 करोड़ व्यय किये गये है। वर्ष 2023-24 की प्रगति तालिका:-

घटक।	संख्या
1.SHG का गठन।	3261
2.SHG को रिवोलवंग फण्ड	2433
3.SHG क्रेडिट लिंकेज	837
4.स्वरोजगार हेतु ऋण	3217

GK Search Engine

Economic Survey 2024-25, राजस्थान सरकार के अनुसार यह मिशन राजस्थान के 213 शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वित है।

घटक	संख्या
1. SHG का गठन	2128
2. SHG को रिवोलविंग फण्ड	1238
3.SHG क्रेडिट लिंकेज	465
4.स्वरोजगार हेतु ऋण	1447

महत्वपूर्ण प्रश्न

01. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम (Self Employment Pro-gram) घटक के तहत बैंक द्वारा एक व्यक्ति को अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जा सकता है ?
(a) 2 लाख
(b) 10 लाख
(c) 50 लाख
(d) कोई नहीं

02. दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार (Employment Through Skill Training And Placement) घटक के तहत प्रशिक्षण हेतु आयु निर्धारित है।
(a) 18 से 35
(b) 18 से 40
(c) 18 से 60
(d) कोई नहीं।

03. दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कितनी जनसंख्या पर एक शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) का गठन किया जाता है।
(a) 3 से 5 लाख
(b) 3 लाख
(c) 5 से 10 लाख
(d) कोई नहीं।

04. निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है?.[EO & RO: 14 May, 2023
(a) प्रधान मंत्री आवास योजना
(b) प्रधान मंत्री जन-धन योजना
(c) खेलो भारत योजना
(d) दीनदयाल अंत्योदय योजना

05. निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना एनयूएलएम योजना का उद्देश्य है?[EO & RO: 14 May, 2023]
(a) ग्रॉमीणों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना ।
(b) ग्रामीणों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना ।
(c) शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना ।
(d) ग्रामीण बेघरों को न्यूनतम पोषक भोजन प्रदान करना ।

06. DAY - NULM ने महिलाओं में उद्यमिता में करियर बनाने के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया हैं ?
(a) UNESCO
(b) UNDP
(c) UNEP
(d) UNSC

07. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब आरंभ किया गया ?
(a) 26 जनवरी, 2014
(b) 1 अप्रैल, 2014
(c) 15 अगस्त, 2014
(d) 2 अक्टूबर, 2014

GK Search Engine

08. निम्नलिखित में से कौनसा दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य है ?

(a) कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम से शहरी गरीबों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना।

(b) शहरी बेघर लोगों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं से युक्त बेहतर आश्रय प्रदान करना भी है

(c) शहरी गरीबों को सब्सिडी सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो-इंटरप्राइजेज) और समूह उद्यमों (ग्रुप-इंटरप्राइजेज) की स्थापना के जरिए स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।

(d) सभी सही हैं।

09. DAY-NULM के तहत राज्य में लाभान्वित परिवारों में शामिल हैं ।

(a) बीपीएल और स्टेट बीपीएल

(b) अंत्योदय सूची में शामिल परिवार

(c) आस्था कार्डधारी परिवार

(d) ऐसे शहरी परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रु. तक

(e) सभी शामिल हैं

10. DAY-NULM को आरंभ में राजस्थान में कितने नगर निकायों क्रियान्वित किया गया था?

(a) 33 नगर निकायों में

(b) 40 नगर निकायों में

(c) 213 नगर निकायों में

(d) 240 नगर निकायों में

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारण्टी योजना

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

शुभारंभः- 09 सितम्बर 2022 को (मनरेगा की तर्ज पर)
(खानिया की बावड़ी, जयपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा)

नोटः- 25 नवम्बर 2024 को योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारण्टी योजना कर दिया गया है।

नोडल विभाग - स्वायत्त शासन विभाग।

वित्त पोषणः- पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना
• बजट 2023-24 में 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान।

योजना का प्रकारः- परिवार आधारित एवं मांग आधारित

उद्देश्यः-

- राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों के 18 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों को गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवा कर उनकी आजीविका सुनिश्चित करना हैं।
- निःशुल्क पंजीयन के आधार पर 100 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ प्रारम्भ की गयी, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 125 कार्य दिवस कर दिया है।

आवदेनः-

(i) ऑनलाइन- IRGY- Urban Mis Portal पर या ई-मित्र के माध्यम से भी किए जा सकते हैं।
(ii) ऑफलाइन-• संबंधित नगरपालिका के कार्यालय;
(iii) जॉन कार्यालय।

GK Search Engine

पात्र व्यक्ति (अर्द्धकुशल और अकुशल) को संबंधित नगरीय निकाय द्वारा रोजगार मांगे जाने पर, जॉब कार्ड के आधार पर आवेदन के 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना में कार्यः

(A) पर्यावरण संरक्षण कार्य

- वृक्षारोपण
- उद्यानिकी से संबंधी कार्य
- वानिकी से संबंधी कार्य

(B) जल संरक्षण संबंधी कार्य

(C) स्वच्छता एवं सेनीटेशन संबंधी कार्य

(D) सम्पत्ति विरूपण रोकने से संबंधी कार्य

(E) कन्वर्जेन्स कार्य

- PM आवास योजना (शहरी), CM जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स
- नगरीय निकाय के स्वयं के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स

(F) सेवा संबंधी कार्य

- गौशाला में श्रमिक कार्य
- नगरीय निकायों में रिकार्ड कीपिंग कार्य

(G) हेरीटेज संरक्षण से संबंध कार्य

नोटः- कार्यों की माप करवाने के लिए तकनीकी अधिकारियों के सहयोग हेतु 'मेट' रखा जाएगा।

पात्रता

- राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाला परिवार
- ऐसे शहरी परिवार के 18 से 60 वर्ष आयु के सदस्य जो इस योजनान्तर्गत पंजीकृत है।
- जनाधार कार्ड अनिवार्य (जनाधार कार्ड यूनिट को ही एक परिवार माना जाएगा)

नोट -

1. जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो जनाधार कार्ड हेतु ई-मित्र या नगरपालिका सेवा केन्द्र पर आवेदन करते हुए आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत कर सकता है।
2. विषम परिस्थितियों जैसे कोरोना काल; अन्य कोई महामारी तथा आपदा आदि में प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

कार्य योजना

(1) नगरीय निकाय स्तर पर -

मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यों के चयन एवं चिह्नीकरण के लिए अधिकृत ।

(2) जिला स्तर पर -

जिला कलेक्टर (जिला परियोजना समन्वयक को अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर)।

कार्यों की स्वीकृति

1. सामान्य प्रकृति के कार्यों में

निर्माण सामग्री एवं पारिश्रमिक भुगतान अनुपात 30: 70 होगा (पारिश्रमिक भत्ता न्यूनतम 70% होना आवश्यक है)

नोटः- दिनांक 07.10.2024 द्वारा निर्माण सामग्री एवं पारिश्रमिक भुगतान अनुपात को 25:75 से बदलकर 30:70 कर दिया गया है।

2. विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में

निर्माण सामग्री लागत एवं तकनीकी विशेषज्ञ (कुशल श्रमिक पारिश्रमिक अनुपात) 75: 25 होगा।

भुगतान

कार्य करने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों से (महिला व पुरुष श्रमिकों को समान मजदूरी) ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा।

नोटः- 28 अगस्त, 2023 को श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर जनवरी, 2023 से

GK Search Engine

न्यूनतम मजदूरी की विगत दरों में 26 रूपये की वृद्धि की गई है-

श्रमिक मजदूरी भुगतान – 1 जनवरी, 2023 से प्रत्येक श्रेणी में 26 रू. की वृद्धि :-

(i) अकुशल श्रमिक	285 रू.	8550 /माह
(ii) अर्द्धकुशल श्रमिक	297 रू.	8910/माह
(iii) कुशल श्रमिक	309 रू.	9270/माह
(iv) उच्च कुशल श्रमिक	369 रू.	10770/माह

भुगतान राजस्थान पेमेंट पोर्टल (RPP)/IRGY-Urban MIS Portal (SNA पॉर्टल के माध्यम से) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में 15 दिवस की अवधि के भीतर कार्य माप के आधार पर किया जायेगा।

मोनिटरिंग 4 स्तरीय

राज्य स्तरीय स्वीकृति व समन्वय समिति

अध्यक्ष:- प्रमुख शासन सचिव , स्वायत्त शासन विभाग

कार्य :- योजना की मोनिटरिंग, सुपरविजन एवं कार्यों हेतु राशि आवंटित करना।

बैठक:- त्रैमासिक आधार पर।

संभागीय स्तरीय मोनिटरिंग एवं सुपरविजन समिति

अध्यक्ष:- संभागीय आयुक्त

कार्य:- कार्यों की मोनिटरिंग व समन्वय तथा पर्याप्त कार्यों की स्वीकृति व गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

बैठक:- द्विमासिक आधार पर।

जिला स्तरीय परियोजना समन्वय समिति

अध्यक्ष:- जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक)

कार्य -कार्य पर्याप्त मात्रा में कार्यों की स्वीकृति जारी करवाना।

समुचित संख्या में संविदा पर जनशक्ति का नियोजन करवाना।

बैठक:- मासिक आधार पर।

नगर निकाय स्तरीय समिति

अध्यक्ष:- आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी

कार्य:- योजना की मोनिटरिंग व प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

शिकायतों का निवारण -

• जिला कलक्टर व संबंधित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के माध्यम से

• जन सम्पर्क पोर्टल (टोल फ्री नं. 181)

IRGY-Urban MIS Portal के माध्यम से किया जाएगा।

नोटः संबंधित नगर निकाय द्वारा शिकायतों का निवारण 7 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जायेगा।

अंकेक्षणः-

- योजना का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत निकायों में गठित वित्त समिति के द्वारा किया जायेगा।
- सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 माह के अन्तराल में एक बार आवश्यक रूप से किया जाना है।

आर्थिक समीक्षा 2023-24, के अनुसार योजना की प्रगति

- वर्ष 2023-24 में 3.19 लाख परिवारों को रोजगार आवंटित किया गया है। इसी वर्ष के दौरान कुल 10,824 कार्य स्वीकृत कर 339 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है और 202.61 लाख मानव दिवस सृजित किये गये है।
- योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों में से 80 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक लाभान्वित हो रही है।

GK Search Engine

आर्थिक समीक्षा 2024-25, के अनुसार

(i) इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2024 तक 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है।

(ii) वर्ष 2024-25 में 1.83 लाख परिवारों को काम आवंटित किया गया है।

(iii) दिसम्बर 2024 तक 2,746 कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 113.6 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और 86.48 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया है।

(iv) इस योजना में 80 प्रतिशत से अधिक मजदूर महिलाएं हैं, जो योजना के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण 10 प्रश्न

01. इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IGSRGY) का आरंभ कब हुआ?

(a) 9 नवंबर, 2021
(b) 9 नवंबर, 2022
(c) 9 सितंबर, 2021
(d) 9 सितंबर, 2022

02. इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है?

(a) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा
(b) सहकारिता विभाग द्वारा
(c) लोक कल्याण विभाग द्वारा
(d) आयोजना विभाग द्वारा

03. इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम मांगने पर कितने दिन में काम उपलब्ध कराया जाएगा?

(a) काम मांगे जाने की तारीख से 7 दिन में
(b) काम मांगे जाने की तारीख से 10 दिन में
(c) काम मांगे जाने की तारीख से 14 दिन में
(d) काम मांगे जाने की तारीख से 15 दिन में

04. IGSRGY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(a) जन-आधार कार्ड धारक राज्य का कोई भी परिवार योजना में आवेदन कर सकता है
(b) कार्यों हेतु भुगतान जन-आधार से लिंक बैंक खाते में 20 दिन में किया जाएगा
(c) 18 से 65 वर्ष तक की आयु के सदस्य रोजगार के पात्र होंगे

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) कोई भी कथन सही नहीं है।

05. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर 'मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना' कब किया गया ?

(a) 25 नवंबर, 2024
(b) 25 सितम्बर, 2024
(c) 25 अक्टूबर, 2024
(d) 25 अगस्त, 2024

06. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 7 अक्टूबर, 2024 को जारी आदेशानुसार सामान्य कार्यों हेतु श्रम एवं सामग्री अनुपात (Labour: Material Ratio) कितना कर दिया है ?

(a) 70:30
(b) 75: 25
(c) 60:40
(d) 80: 20

07. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की मॉनिटरिंग कितने स्तर पर की जाती है?

(a) 2 स्तरीय
(b) 3 स्तरीय
(c) 4 स्तरीय
(c) कोई नहीं।

GK Search Engine

08. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' अकुशल श्रमिक मजदूरी कितनी रखी गयी है।

(a) 285 रु

(b) 297 रु

(c) 309 रु

(d) 369 रु

09. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' में जिला परियोजना समन्वयक किस अधिकारी को बनाया गया है।

(a) जिला कलेक्टर

(b) मुख्य जिला अधिकारी

(c) नगर निकाय आयुक्त

(c) कोई नहीं।

10. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है।

(a) 200

(b) 125

(c) 150

(c) कोई नहीं।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना :-

योजना की घोषणा - बजट 2021-22 में।

योजना आरंभ - 6 अगस्त, 2021

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा

वार्षिक आधार पर समय सीमा बढ़ाई गई।

पहली बार 31 मार्च, 2022 तक।

दूसरी बार - 31 मार्च, 2023 तक।

तीसरी बार (17 मार्च, 2023 की घोषणा के अनुसार) 31 मार्च, 2024 तक।

नोट- तीसरे चरण के लिए अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई।

📌 योजना के तहत शहरी क्षेत्र में अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र (स्ट्रीट वेंडर्स आदि) में काम करने वाले 5 लाख लोगों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर 50 हज़ार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना का क्रियान्वयन - स्वायत शासन विभाग द्वारा।स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा

वित्त पोषण:- 100% राज्य वित्त पोषित।

योजना का प्रकार - व्यक्तिगत

इस योजना में 31 मार्च, 2024 तक 6.56 लाख लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं।

योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड -

- राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक - राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास कर रहा हो।
- आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। (नोट:- प्रारंभ में यह 18 से 40 वर्ष थी ।)
- आवेदक की व्यक्तिगत मासिक आय 15 हजार से कम हो।
- आवेदक के परिवार की मासिक आय 50 हजार से कम हो।
- जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छोटे व्यापारी जिन्हें शहरी निकाय द्वारा पहचान पत्र दिया है, वह भी योजना का पात्र है।
- लाभान्वित – SC, ST, पिछड़ा वर्ग एवं समान्य श्रेणी सहित सभी वर्गों के पात्र व्यक्ति होंगे।

नोट -

(i) बेरोजगार युवाओं हेतु आयु सीमा 18 से 40 वर्ष ही है।

(ii) स्ट्रीट वेंडर श्रेणी के आवेदकों हेतु ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

GK Search Engine

ऋण प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान समय सीमा :-

- ऋण की अवधि एक वर्ष होगी।
- ऋण सामान्यतया आवेदन के 25 दिन के भीतर बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
- ऋण निकासी - क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (हरा रंग) से।
- ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने रहेगी।
- ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।
- ऋण का पुनर्भुगतान :- 25 हजार तक का ऋण चौथे से 15 वें माह तक 12 सामान मासिक किस्तों में।
- 25 हजार से 50 हजार तक का ऋण - 18 मासिक किश्तों में भरा जा सकेगा।

ऋणदाता संस्थान :-

(i) अनुसूचित वाणिज्यक बैंक (सार्वजिक एवं निजी)

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (iii) स्मॉल फाइनेंस बैंक

(iv) सहकारी बैंक (v) गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां ।

नोट -

(i) इन बैंकों हेतु ब्याज दर 10% वार्षिक निर्धारित है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

(iii) 'राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति' की अनुशंसा के आधार पर लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा।

(iv) इस योजना के तहत सभी ऋण 'क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज (CGTMSE)' के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।

योजना क्रियान्वयन अधिकारी एवं समीक्षा-

- लाभार्थी की पहचान सबंधित निकाय द्वारा।
- लाभार्थी का सत्यापन उपखंड अधिकारी द्वारा 7 दिवस में किया जाएगा।

जिला कलेक्टर -

- जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी।
- योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु 'जिला स्तरीय बैंकिंग कमेटी' द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रति माह बैठक आयोजित की जाएगी।

योजना के उद्देश्य -

- यह योजना व्यापारिक गतिविधियों हेतु लाभार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बिना किसी गारण्टी के, ब्याज रहित माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है।
- -रुपए 50000/- (पचास हजार) तक का ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- -अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना।
- -स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना। व -रोजमर्रा की जरुरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 के दुष्प्रभाव को कम करना।
- यह योजना राजस्थान राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर मदद कर अर्थव्यवस्था के विकास एवं बढ़ावा देने के मार्ग को प्रशस्त करती है।
- ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं होगा।
- पुनर्भुगतान - 12 समान मासिक किश्तों में (3 माह मॉरिटोरियम अवधि के बाद)

GK Search Engine

ऋण जारी किए जाने की समय सीमा

- इस योजना के अन्तर्गत ऋण सामान्यतया आवेदन के 25 दिन के भीतर ऋणदाता संस्थान द्वारा स्वीकृत कर दिया जायेगा।

राजस्थान आर्थिक समीक्षा (2023-24)

- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को रु. 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 31 मार्च, 2024 तक 6,56,000 लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और 2,49,000 लाभार्थियों को रु. 710 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

बजट घोषणा 2024-25 के अनुसारः-

- शहरी क्षेत्रों में Street Vendors को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागु की गई "प्रधानमंत्री
- स्वनिधि योजना" की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में Street Vendors के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की जायेगी।

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 2024

प्रारम्भ 16 दिसम्बर 2024

योजनान्तर्गत 80,000 रु. तक ब्याज मुक्त, गारन्टी मुक्त, बिना प्रकिया शुल्क के माइको केडिट प्रदान किया जाता है।

असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिकों को शामिल किया गया।

महत्वपूर्ण 10 प्रश्न

01. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ की गई?

(a) 6 जुलाई, 2021

(b) 6 अगस्त, 2021

(c) 6 अगस्त, 2022

(d) 6 जुलाई, 2022

02. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का वित्त पोषण किया गया है-

(a) 100% केंद्र सरकार द्वारा

(b) 60% केंद्र सरकार एवं 40% राज्य सरकार द्वारा

(c) 100% राज्य सरकार द्वारा

(d) 50% केंद्र सरकार एवं 50% राज्य सरकार द्वारा

03. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितना ऋण प्रदान किया गया?

(a) एकल व्यक्ति उद्यमी को रु.20 हजार तक एवं सामूहिक उद्यमों को रु.50 हजार तक

(b) केवल सामूहिक उद्यमों को रु.50 हजार तक

(c) केवल एकल व्यक्ति उद्यमी को रु.50 हजार तक

(d) एकल व्यक्ति उद्यमी को रु. 50 हजार तक एवं सामूहिक उद्यमों को रु. 1 लाख तक

04. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र आयु वर्ग है-

(a) 18-40 वर्ष

(b) 18-45 वर्ष

(c) 18-50 वर्ष

(d) 18-60 वर्ष

GK Search Engine

05. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया गया ?

(a) स्वायत शासन विभाग
(b) वित्त विभाग
(c) सहकारिता विभाग
(d) श्रम विभाग

06. जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया?

(a) जिला कलक्टर को
(b) संभागीय आयुक्त को
(c) संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी को
(d) क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि को

07. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संचालन हेतु परिपत्र किस विभाग द्वारा जारी किया गया?

(a) स्थानीय निकाय विभाग द्वारा
(b) मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा
(c) वित्त विभाग द्वारा
(d) उद्यम एवं कौशल विकास विभाग द्वारा

08. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

a. आवेदक अनिवार्यतः राजस्थान के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए
b. आवेदक, जनाधार कार्डधारी होना चाहिए
c. आवेदक के पास राजस्थान में स्थायी और साथ ही वर्तमान निवास से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही हैं

09. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना' में ऋण पुनर्भुगतान की अवधि होगी।

(a) 12 माह
(b) 15 माह
(c) 10 माह
(d) कोई नहीं

10. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना' के उद्देश्यों में शामिल है?

(a) 50 हज़ार तक के ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना।
(b) अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना।
(c) स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना।
(d) सभी सही है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना

संकल्पना- "लक्ष्य अंत्योदय प्रण अंत्योदय पथ अंत्योदय" की संकल्पना को साकार करना।

योजना की शुरुआत-

पूर्व संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना (दिसम्बर 2016/ मोबाइल वेन) का प्रतिस्थापन कर 20 अगस्त, 2020 को 'कोई भी भूखा नहीं सोए' के संकल्प के साथ राज्यके सभी 213 नगरीय निकायों में "इंदिरा रसोई योजना" नाम से 358 रसोईयों का शुभारंभ किया गया था। जिसे 6 जनवरी 2024 में सरकार द्वारा नाम बदलकर "श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना" कर दिया गया।

योजना का प्रकार - सामूहिक

बजट घोषणा -

बजट 2022-23 में रसोईयों की संख्या बढ़ाकर 358 से 1,000 की गई। जिनमें प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये खर्च कर 9.25 करोड़ भोजन थाली परोसकर जरूरत मंदों को लाभांवित किया जायेगा।

बजट 2023-24 में रसोईयों की संख्या बढ़ाकर 2000, वार्षिक व्यय 700 करोड़ रुपये निर्धारित व योजना का "ग्रामीण क्षेत्रों" में भी विस्तार की घोषणा की गई थी।

बजट घोषणा 2024-25 भोजन की मात्रा को 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम करने की घोषणा, राजकीय अनुदान 17 रु. से बढ़कार 22

GK Search Engine

रु. करने की घोषणा तथा इस योजना के लिए वार्षिक व्यय 350 करोड़ रु. रखा गया।
प्रतिदिन 2.30 लाख व्यक्ति एवं प्रति वर्ष 9.25 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।

नोडल विभाग

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग। मंत्री माननीय झाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

विशेषताएँ -

- योजनान्तर्गत आमजन को 8 रु. में प्रति थाली में दो समय (दोपहर एवं रात्रिकालीन) का स्थायी रसोईयों में सम्मानपूर्वक बैठाकर शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा 22 रु. प्रति थाली अनुदान (पहले 17रु. प्रति थाली अनुदान)।
- इस हेतु प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपयें का प्रावधान। (बजट 2024-25 में बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष)
- प्रतिवर्ष 5.47 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर लोगों को लाभांवित करने का लक्ष्य (आवश्यकतानुरुप बढ़ाया जा सकता हैं)।
- भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम चपाती व आचार व 100 ग्राम मिलेट्स खिचड़ी सम्मिलित है। (ज्यादा वजन एवं ज्यादा पौष्टिक थाली)
- भोजन सामग्री का वजन बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया जो पहले 450 ग्राम प्रति थाली था। अब एक समय के लिए एक ही कूपन दिया जाता है (जून 2024 से पहले आवश्यकता होने पर दोनों पर एक व्यक्ति को दो कूपन दिए जा सकते थे)

वित्तीय प्रावधान

योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय का प्रावधान निदेशालय स्तर पर किया जायेगा।
1. 50% राशि नगरीय निकायों को देय राज्य वित्त आयोग अनुदान से।
2. 50% राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से या आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा अन्य मदों से उपलब्ध करवाई जाएगी

प्रशासनिक व्यवस्था दो स्तरीय;

1. राज्य स्तरीय प्रबंधन व मोनिटरिंग समिति

माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग:- पदेन अध्यक्ष

2. जिला स्तरीय समन्वय व मोनिटरिंग समिति

जिला कलेक्टर:- पदेन अध्यक्ष

योजना का क्रियान्वयन

संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय व मोनेटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा।
अवधि - तीन वर्ष का अनुबंध होगा (अवधि आगे बढ़ाई जा सकती हैं।)
आधारभूत व्यय प्रत्येक संस्था के लिए रसोई संचालन हेतु एकमुश्त रु. 5 लाख आधारभूत व्यय का प्रावधान।
आवर्ती व्यय रु. 3 लाख प्रतिवर्ष का प्रावधान।

भोजन की उपलब्धता

दोपहर प्रातः 8:30 बजे से मध्याह्न 1:00 बजे तक, शाम सांयकाल 5:00 बजे से 8:00 बजे तक

क्र.सं.	क्षेत्र	रसोई	थालियों की संख्या
1	नगर निगम (10)	261	300 थाली दोपहर व 300 थाली शाम
2	नगर परिषद (36)	311	150 थाली दोपहर व 150 थाली शाम
3	नगरपलिका बोर्ड (194)	428	150 थाली दोपहर व 150 थाली शाम
	कुल 240	1000	

नोट - राज्य स्तरीय समिति रसोई की संख्या व थालियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

GK Search Engine

योजना में पुरस्कार

श्री अन्नपूर्णा रसोई में कार्यरत कर्मचारियो, अधिकारियों व संस्थाओं को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन हेतु नकद प्रशस्ति पत्र पुरस्कार 15 अगस्त व 26 जनवरी को वितरित किये जायेगे।

श्रेणी	राज्य स्तर पर	संभाग स्तर पर	जिला स्तर
प्रथम	21,000रु.	15,000रु	11,000रु
द्वितीय	15,000रु	11,000रु	
तृतीय	11,000रु	5,000रु	

योजना में प्रगति -

आर्थिक समीक्षा 2023-24 राजस्थान सरकार के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक इसके अन्तर्गत 19.17 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर जरूरतमंदों को लाभांवित किया जा चुका है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान 72 लाख जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि के समय भोजन उपलब्ध करवाया गया।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 राजस्थान सरकार के अनुसार (आर्थिक समीक्षा 2023-24 के आँकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं है) प्रदेश में लक्ष्य अंत्योदय प्रण अंत्योदय-पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार कर रही सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी निकायों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है।

प्रदेश में 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोईयों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये व्यय कर प्रतिवर्ष 9.21 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

इस पहल के तहत स्थायी रसोई में आम जनता को 8 रुपये प्रति प्लेट की रियायती लागत पर शुद्ध और पौष्टिक भेजन उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें राज्य सरकार 22 रुपये प्रति प्लेट का अनुदान देती है। दिसम्बर 2024 तक कुल 23.03 करोड़ थाली परोसी जा चुकी है। जिससे जरूरतमंदों को काफी लाभ हुआ है।

10 Important Question

01. इंदिरा रसोई योजना' में प्रत्येक रसोई संचालन के लिए सरकार द्वारा आधारभूत मद हेतु कितनी राशि एकमुश्त दी जाती है?
(a) 5 लाख
(b) 3 लाख
(c) 2 लाख
(d) कोई नहीं

02. इंदिरा रसोई योजना का शुभारम्भ किया गया?
(a) 20 अगस्त, 2020 को
(b) 20 नवंबर 2020 को
(c) 15 अगस्त, 2020 को
(d) 15 नवंबर, 2020 को

03. इंदिरा रसोई योजना का आरंभ में कितने नगर निकायों में क्रियान्वयन किया गया?
(a) 210 नगर निकायों में
(b) 213 नगर निकायों में
(c) 223 नगर निकायों में
(d) 240 नगर निकायों में

04. इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति थाली कीमत कितनी निर्धारित है?
(a) रु.12 प्रति थाली
(b) रु.25 प्रति थाली
(c) रु.19 प्रति थाली
(d) रु.27 प्रति थाली

GK Search Engine

05. इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(a) दोपहर का भोजन प्रातः 10 बजे से मध्यान्ह 2 बजे तक उपलब्ध होगा।

(b) आवश्यकतानुसार एक्शटेन्शन काउंटर द्वारा भोजन वितरण किया जायेगा।

(c) भोजन के समय कोई दस्तावेज लाना आवश्यक नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही हैं।

06. इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार प्रति थाली कितना अनुदान दे रही है?

(a) रु.6 प्रति थाली

(b) रु.8 प्रति थाली

(c) रु.12 प्रति थाली

(d) रु.22 प्रति थाली

07. इंदिरा रसोई योजना' में तीनों स्तरों पर प्रथम आने वाली रसोई को पुरस्कार स्वरुप कितनी राशि दी जाती है।

(a) राज्य स्तर पर प्रथम - 21 हजार

(b) संभाग स्तर पर प्रथम - 15 हजार

(c) जिला स्तर पर प्रथम - 11 हजार

(d) सभी सही है।

08. इन्दिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था ?[EO & RO: 14 May, 2023

(a)हर: घर अन्न

(b) कोई भूखा न सोए

(c) हर घर चूल्हा

(d) सोच के लिए भोजन

09. राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी ?

(a) 104

(b) 250

(c) 358

(d) 501

10. श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की थाली मे कुल सामग्री का वजन 600 ग्राम तय किया गया?

(a) 700 ग्राम

(b) 600 ग्राम

(c) 500 ग्राम

(d) 450 ग्राम

प्रधानमंत्री आवास योजनाः सबके लिए आवास (शहरी)

योजना की शुरुआत -25 जून, 2015

नोट- दिशा निर्देशिका के अनुसार 17 जून 2015 से मिशन के सभी घटक प्रारम्भ कर दिए गए।

योजना का प्रकार पारिवारिक एवं व्यक्तिगत। -

नोडल विभाग -आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

मंत्री माननीय मनोहरलाल खट्टर

उद्देश्य

- ★ आजादी के 75वें वर्ष तक अर्थात 31 मार्च, 2022 (समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024) तक झुग्गीवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करने लिए प्रत्येक मौसम के अनुकूल पक्का मकान सुनिश्चित करना।
- ★ पात्र शहरी परिवारों की 1.12 करोड़ आवास की मांग को पूरा करना।

ध्येय वाक्य 'सभी के लिए आवास'

GK Search Engine

लाभार्थी-

- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- लाभार्थी परिवार के पास या तो उनके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- वयस्क कमाने वाला सदस्य (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना) को अलग परिवार माना जा सकता है।
- 21 वर्ग मीटर से कम बिल्ड अप एरिया रखने वाला परिवार भी पात्र होगा। (05 जनवरी 2019 से)
- योजना प्रारंभ के समय ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्गों के लिए थी परंतु 01 जनवरी 2017 से इसे एमआईजी-1 व एमआईजी-2 तक विस्तारित की गई।
- ईडब्ल्यूएस वर्ग चारों घटकों के लिए पात्र होंगे जबकि एलआईजी और एमआईजी केवल केडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे।

केन्द्रीय नोडल एजेंसी (CNA)

मिशन के ऋण आधारित सब्सिडी घटक (CLSS) के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु मंत्रालय द्वारा निर्धारित नोडल एजेंसी।

वर्तमान में तीन केन्द्रीय नोडल एजेंसी हैं-

SBI - State Bank of India, NBH - National Bank of Housing, HUDCO - Housing and Urban Development Coorporation

योजना के घटक-

यह योजना इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर),
केडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस),
लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) चार घटकों पर आधारित हैं।

वित्त पोषण

सामान्य / मैदानी राज्य 60:40
उत्तरी पूर्वी एवं हिमालयी राज्य 90: 10

सभी वर्गों के लिए, ब्याज सब्सिडी 20 वर्ष तक की अवधि वाले होम लोन के लिए मान्य है.

प्रशासन, कार्यान्वयन और निगरानी ढांचा:

तीन स्तरीय ढांचा -

1. सचिव, MoHUA की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (CSMC)
2. राज्यों या केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (SLSMC)
3. चुनिंदा शहरों में महापौर अथवा नगरीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति।

वर्तमान स्थिति

आवासन एवं शहरी मामलात मंत्रालय के अनुसार 30 दिसम्बर 2024 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

आवासों की भौतिक प्रगति-
मांग-1.12 करोड़
स्वीकृतः- 1.18 करोड़
निर्माणाधीन एवं पूर्णः- 1.13 करोड़
पूर्णः- 90 लाख

वित्तीय प्रगति-

- कुल निवेश - 8.07 लाख करोड़
- केन्द्रीय सहायता (प्रस्तावित)2.00 लाख करोड़
- केन्द्रीय सहायता (रीलीज्ड)-1.67 लाख करोड़

भारत में सर्वाधिक शहरी आवास आंध्रप्रदेश (21,37,028) एवं उत्तरप्रदेश (17,76,823) को स्वीकृत किए गए हैं।

राजस्थान को 3,19,877 शहरी आवास आवंटित किए जा चुके हैं।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में योजना

बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को राहत दिये जाने के उद्देश्य से 25 हजार रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिये जाने की घोषणा की गयी।

अर्थिक समीक्षा 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसारः-

राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल आवासों की संख्या-

अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (AHP) घटक के तहत 33,580 आवास

लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण (BLC) घटक के तहत 1,23,420 आवास

उक्त दोनों घटको (AHP) व (BLC) के तहत कुल 1.57 लाख

आवास क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) घटक के तहत 1,48,362 आवास

उक्त तीनों घटकों (AHP), (BLC) व (CLSS) के तहत कुल 3,05,362 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं।

नोट- स्वीकृत आवासों में 76,122 आवास निर्माणधीन है तथा 1,68,793 पूर्ण हो चुके हैं।

अर्थिक समीक्षा 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसारः-

- आवास योजना का उद्देश्य बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक) तथा निम्न आय वर्ग (वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये के बीच) के व्यक्तियों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल आवासों की संख्या 2,88,550 आवास

1 अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (AHP) घटक के तहत 27,396 आवास

2 लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण (BLC) घटक के तहत 1,12,792 आवास

3 क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) घटक के तहत 1,48,362 आवास

उक्त तीनों घटकों (AHP), (BLC) व (CLSS) के तहत कुल 2,88,550 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं।जिनमें से 1,96,700 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। जबकि 73,603 आवास निर्माणाधीन हैं।

मिशन की अवधि दिसम्बर 2024 को समाप्त होनी थी जिसे बढ़ाकर दिसम्बर 2025 तक कर दिया गया है।

राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए नोडल एजेंसी है। यह राजस्थान सरकार का उपक्रम

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0

09 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को मंजूरी दी गई।

GK Search Engine

कालावधि 2028-29 तक

मिशन अवधि - PMAY (U) 2.0 का क्रियान्वयन दिनांक 01 सितम्बर 2024 से 05 वर्ष के लिए किया जाएगा।

लक्ष्य-

- इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है।
- इसमें 10 लाख करोड़ रु. का निवेश और 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी (सहायता) शामिल है।

पात्रता मापदंड (एक लाभार्थी परिवार में पति/पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां शामिल होगी।)

- शहरी क्षेत्रों में रहने वाले EWS/LIG/MIG श्रेणियों से संबंधित परिवारों के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी PMAY (U) 2.0 योजना के घटको में से केवल किसी एक घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
- वैसे लाभार्थी जिन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन की किसी भी आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया गया है, इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय
- निम्न आय वर्ग (LIG):-3 लाख से 6 लाख रुपये तक वार्षिक आय
- मध्यम आय वर्ग (MIG) 6 लाख से 9 लाख तक वार्षिक आय

PMAY-U (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी) 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को निम्नलिखित चार घटको के माध्यम से पूरा किया जायेगा-

(1) लाभार्थी आधारित निर्माण / Beneficiary Led Construction (BLC)
(2) भागीदारी में किफायती आवास / Affordable Housing in Partnership (AHP)
(3) किफायती किराया आवास / Affordable Rental Housing (ARH)
(4) ब्याज सब्सिडी योजना / Interest subsidy scheme (ISS)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	PMAY - (U) 2.0 घटक		
		BLC एवं AHP	ARH	ISS
1	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश (जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली)	केन्द्र सरकार-2.25 लाख रूपये प्रति आवास; राज्य सरकार न्यूनतम - 0.25 लाख रूपये प्रति आवास	प्रोद्योगिकी नवाचार अनुदान- भारत सरकार द्वारा 3000 रूपये प्रति वर्गमीटर प्रति आवास तथा राज्य का हिस्सा 2000 रूपये प्रति वर्गमीटर प्रति आवास।	गृह ऋण सब्सिडी केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति आवास 1.80 लाख रूपये तक होम लोन सब्सिडी (वास्तविक रिलीज तक)
2	बिना विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश	केन्द्र सरकार - 2.50 लाख रूपये प्रति आवास		
3	शेष राज्य	केन्द्र सरकार - 1.50 लाख रूपये प्रति आवास; राज्य सरकार - न्यूनतम 1.00 लाख रूपये प्रति आवास		

वित्त पोषण तंत्रः-

बिना विधायिका वाले केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए शेयरिंग पैटर्न 100 (केन्द्र) 0 (केन्द्रशासित प्रदेश) होगा।
विधायिका वाले केन्द्रशासित प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी, राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड) के लिए शेयरिंग पैटर्न 90 (केन्द्र) 10 (राज्य) होगा।
अन्य राज्यों के लिए शेयरिंग पैटर्न 60 (केन्द्र): 40 (राज्य) होगा।

ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)- केन्द्र क्षेत्रक योजना है। (100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषण) जब कि अन्य घटक केन्द्र प्रायोजित योजना है। (जैसे केन्द्र व राज्य का वित्त पोषण 60 40)

GK Search Online

बजट घोषणा

बजट 2024-25 में PM आवास योजना (शहरी) को 30,171 करोड़ रु आवंटित किए गए हैं। जो 2023-24 के बजटीय आवंटन (22,103 करोड़ रुपये) से 36% अधिक है।

महत्वपूर्ण प्रश्न

01. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का आरंभ कब हुआ?
(a) 15 जून, 2015
(b) 25 जून, 2015
(c) 15 जून, 2016
(d) 25 जून, 2016

02. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
(a) इसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
(b) इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है।
(c) यह मांग-संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही हैं।

03. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवासों की आवश्यकता का आंकलन किसके द्वारा किया गया है?
(a) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा
(b) केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा
(c) राज्य सरकारों द्वारा
(d) सहकारिता विभाग द्वारा

04. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
(a) इसमें देश के सभी नगरीय क्षेत्र शामिल हैं।
(b) केवल महिला सदस्य के नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा।
(c) आवास आवंटन में समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही हैं।

05. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को कितने घटकों में विभाजित किया गया है?
(a) 3
(b) 4
(c) 6
(d) 8

06. PMAY-U के स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास घटक (ISSR) में कितना सरकारी अनुदान दिया जाता है?
(a) रु.1 लाख प्रति आवास
(b) रु.1.41 लाख प्रति आवास
(c) रु.1.5 लाख प्रति आवास
(d) रु.1.61 लाख प्रति आवास

07. PMAY-U के अंतर्गत EWS श्रेणी की वार्षिक पारिवारिक आय कितनी निर्धारित की गई है?
(a) रु. 3 लाख
(b) रु. 5 लाख
(c) रु. 8 लाख
(d) रु. 12 लाख

Gk Search Engine

08. PMAY-U के ऋण आधारित ब्याज OMPE सब्सिडी योजना घटक (CLSS) में कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी?

(a) 3% से 6.5% तक एवं रु. 2.67 लाख तक

(b) 3% से 6% तक एवं रु. 2.67 लाख तक

(c) 3% से 6.5% तक एवं रु. 2.57 लाख तक

(d) 3% से 6% तक एवं रु. 2.57 लाख तक

09. PMAY-U में केन्द्रीय नोडल एजेंसी है-

(a) बंधन बैंक

(b) राष्ट्रीय आवास बैंक

(c) पंजाब नेशनल बैंक

(d) उपर्युक्त सभी

10. PMAY-U के अंतर्गत अधिकतम ऋण अवधि कितनी हो सकती है?

(a) 12 वर्ष

(b) 15 वर्ष

(c) 20 वर्ष

(d) 25 वर्ष

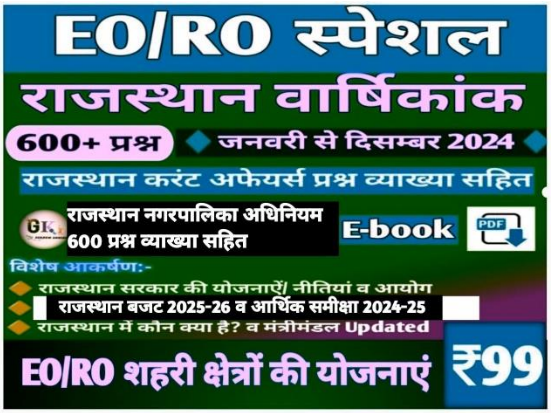

RPSC EO/RO Exam Booster Course

✅राजस्थान नगरपालिका अधिनियम: 600 प्रश्न (व्याख्या सहित)

राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 :- 600+ प्रश्न (व्याख्या सहित) (जनवरी से दिसम्बर 2024)

विशेष आकर्षण:-

- ★ 💧राजस्थान सरकार की योजनाएँ। नीतियां व आयोग
- ★ 💧राजस्थान बजट 2025-26 व आर्थिक समीक्षा 2024-25
- ★ 💧राजस्थान में कौन क्या है? व मंत्रीमंडल Updated

अन्य महत्वपूर्ण:-

📌EO/RO स्पेशल 8 योजनाएं (सम्पूर्ण जानकारी व्याख्या सहित)

📌EO/RO स्पेशल 8 योजनाओं के प्रश्न

Click here 👇👇👇👇

https://www.gksearchengine.in/wlp/course-sutzhq-eoro2025

GK Search Engine

GK Search Engine